रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1551] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ज्येष्ठ 10, 1939
No. 1551] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/JYAISTHA 10, 1939

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2017

का.आ.1752(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3014(अ), तारीख 5 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 5 नवम्बर, 2015, को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के सोलापुर और औसमानाबाद जिलों में स्थित है और 1.98 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है, कुछ अन्य स्तनधारी प्रजातियों जैसे लोमड़ी, सियार और भेड़िया से अलग खास तौर पर ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी और काला हिरण वन्यजीव रूप में ज्ञात हैं।

और जहाँ, इस अभयारण्य में कुछ सरीसृप, उभयचर, तितलियों, मकड़ियों और अकशेरुकी का निवास हैं;

और, गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 40 मीटर से 675 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् : —

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**— (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 40 मीटर से 675 मीटर तक 7.14 किलोमीटर के विस्तार तक क्षेत्र में फैला हुआ है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ सीमा के मुख्य बिंदुओं के दर्शाने वाले अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है। अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध I(क)** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध II** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ भू निर्देशांकों में सोलापुर जिला के अंतर्गत अर्थात् गैंगेवाडी और उसमानाबाद जिला में धोतरी, देवकुरली और पिंपला बी के. 4 ग्रामों की सूची **उपाबंध – III** के रूप में उपाबद्ध हैं।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना .— 1. राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

2. उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

4. उक्त महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्: —

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) उक्त योजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और उक्त महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता तथा पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) उक्त महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) उक्त महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी और योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(8) उक्त महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

(9) उक्त महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

IndiaCode

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—** राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) **भू-उपयोग.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा । मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह परिभाषित किया जाएगा ।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के से और यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संन्निमार्ण;

(iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.— सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/प्रणालों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए आचंलिक महायोजना में सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन.—** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.—** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक और विनियम कार्यान्वित करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा तथा पर्यावरण की सरंक्षण के लिए मानक ओर अधिक कठोर बनाये जा सकते हैं।

(9) **ठोस अपशिष्ट .-** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा: **—**

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **इलेक्ट्रोनिक–अपशिष्ट.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.—** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

IndiaCode

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची — पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
		प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।
5.	बृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित / प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं

	लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है।
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
13.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
14.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (क) परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और (iv) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची।
16.	खाई-स्थल।	नई खाई-स्थल का विनिर्माण प्रतिबंधित होगा। पुरानी खाई स्थलों को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जायेगा।
17.	वाहन उत्सर्जन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
21.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा। पारिस्थिति संवेदी जोन से गुजरने वाले विद्यमान विद्युत लाइन के भूमिगत केबल आंचलिक महायोजना के अधीन विहित की गई समयावधि में पर्याप्त रूप से तापावरोधन किया जाएगा।

22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
23.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	रात्रि में यानीय यातायात की गतिविधियां ।	आंचलिक महायोजना और लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक यान विनियमित होंगे ।
26.	कृषि प्रणाली या भूमि उपयोग पैटर्न में प्रबल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	डेयरी, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	स्थानीय व्यक्तियों के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
32.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।
35.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से उन्नत किया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश, सीएनजी, एलपीजी, इत्यादि को लागू विधियों के अधीन उन्नत किया जाएगा ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.— इस अधिसूचना के प्रभावी उपबंधों की मानीटरी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक मानीटरी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्: —

(1) जिला कलेक्टर, औसमानाबाद - अध्यक्ष ;

(2) जिला कलेक्टर, सोलापुर का प्रतिनिधि - सदस्य;

(3) जिला परिषद्, औसमानाबाद का प्रतिनिधि - सदस्य;

(4) जिला परिषद्, सोलापुर का प्रतिनिधि - सदस्य;

(5) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;

(6) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(7) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औसमानाबाद - सदस्य;

(8) नगर योजना अधिकारी, ओसमानाबाद - सदस्य;

(9) नगर योजना अधिकारी, सोलापुर - सदस्य;

(10) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;

(11) वन संरक्षक का प्रतिनिधि, सोलापुर वन खंड - सदस्य; और

(12) प्रभागीय वन अधिकारी, ओसमानाबाद - सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन.—

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि का होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

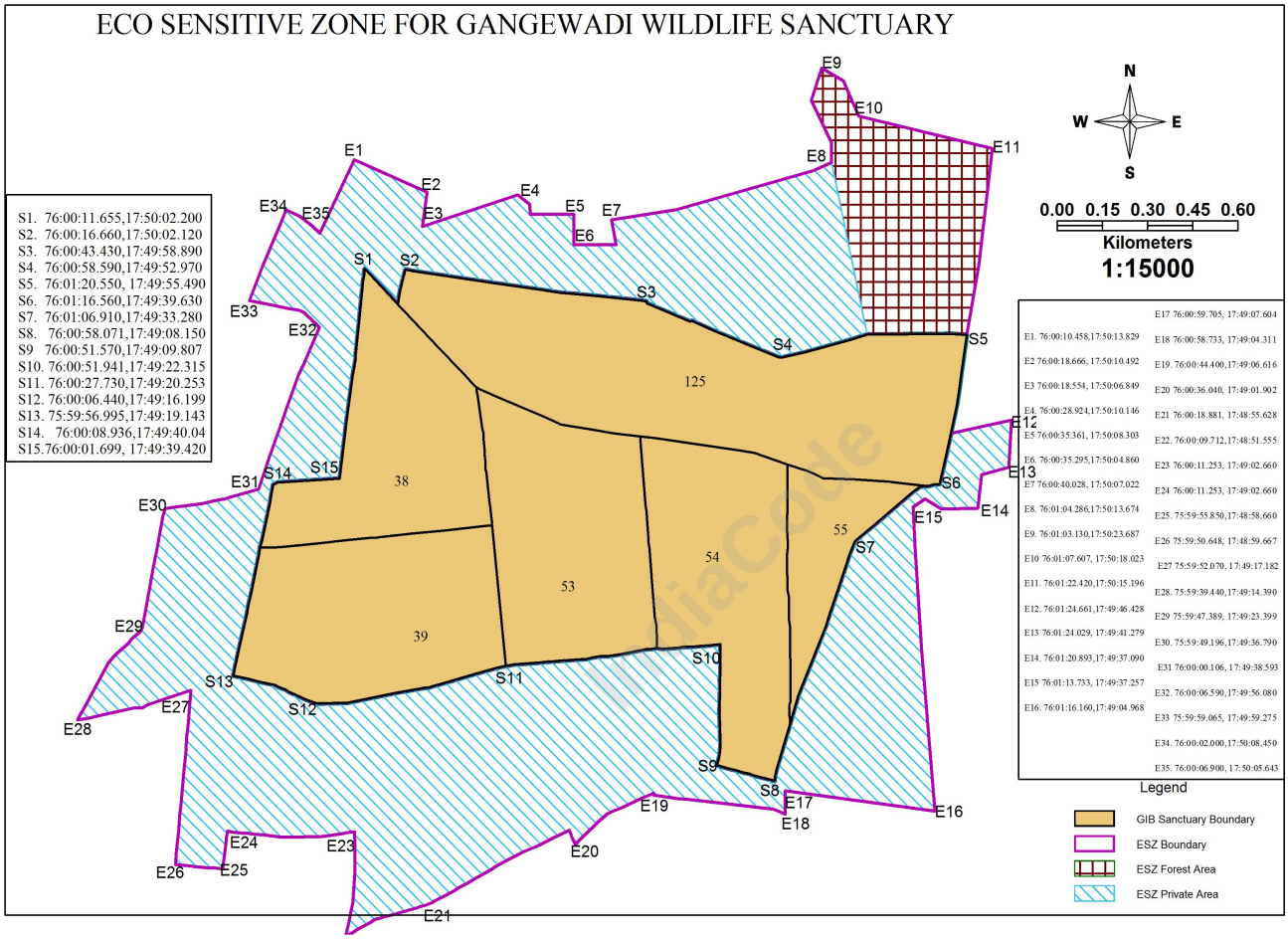
8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे

[फा.सं. 25/129/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ मानचित्र



उपाबंध I(क)

संरक्षित क्षेत्र के भू निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु सं.	अक्षांश	देशांतर
1	ए	उ17°50'o2.386"	पू 76°00'11.629"
2	बी	उ17°49'58.619"	पू76°00'15.420"
3	सी	उ17°50'02.203"	पू76°00'16.313"
4	डी	उ17°49'58.891"	पू76°00'43.430"
5	ई	उ17°49'52.969"	पू76°00'58.423"
6	एफ	उ17°49'57.813"	पू76°01'19.919"
7	जी	उ17°49'36.630"	पू76°01'16.566"
8	एच	उ17°49'33.704"	पू76°01'07.014"
9	आई	उ17°49'14.423"	पू76°00'59.774"

10	जे	उ17°49'08.288"	पू76°00'58.046"
11	के	उ17°49'09.938"	पू76°00'51.546"
12	एल	उ17°49'22.765"	पू76°00'51.917"
13	एम	उ17°49'22.310"	पू76°00'44.733"
14	एन	उ17°49'20.383"	पू76°00'27.705"
15	ओ	उ17°49'16.450"	पू76°00'09.682"
16	पी	उ17°49'20.273"	पू75°59'56.969"
17	क्यू	उ17°49'32.908"	पू75°59'59.963"
18	आर	उ17°49'39.501"	पू76°00'01.379"
19	एस	उ17°49'40.178"	पू76°00'08.910"

पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू निर्देशांक

बिंदु सं.	अक्षांश	देशांतर	बिंदु सं.	अक्षांश	देशांतर
1	उ17°50'14.735"	पू76°00'10.066"	20	उ17°49'03.261"	पू76°01'10.677"
2	उ17°50'12.020"	पू76°00'16.439"	21	उ17°49'02.767"	पू76°00'57.996"
3	उ17°50'08.152"	पू76°00'16.587"	22	उ17°49'05.141"	पू76°00'58.029"
4	उ17°50'01.966"	पू76°00'28.603"	23	उ17°49'06.747"	पू76°00'44.378"
5	उ17°50'09.022"	पू76°00'29.144"	24	उ17°49'01.457"	पू76°00'35.612"
6	उ17°50'09.049"	पू76°00'32.502"	25	उ17°48'51.687"	पू76°00'09.685"
7	उ17°50'08.425"	पू76°00'32.675"	26	उ17°49'02.760"	पू76°00'10.688"
8	उ17°50'08.397"	पू76°00'33.970"	27	उ17°49'02.822"	पू75°59'56.370"
9	उ17°50'05.314"	पू76°00'34.592"	28	उ17°48'58.791"	पू75°59'55.832"
10	उ17°50'05.972"	पू76°00'39.600"	29	उ17°48'59.233"	पू75°59'50.517"
11	उ17°50'08.415"	पू76°00'38.250"	30	उ17°49'17.682"	पू75°59'52.171"
12	उ17°50'13.501"	पू76°01'03.954"	31	उ17°49'14.521"	पू75°59'39.416"
13	उ17°50'23.518"	पू76°01'02.070"	32	उ17°49'23.955"	पू75°59'46.498"
14	उ17°50'18.266"	पू76°01'06.731"	33	उ17°49'36.919"	पू75°59'49.169"
15	उ17°50'14.343"	पू76°01'25.665"	34	उ17°49'39.046"	पू75°59'59.744"
16	उ17°49'43.791"	पू76°01'24.823"	35	उ17°49'56.209"	पू76°00'06.565"
17	उ17°49'29.801"	पू76°01'14.771"	36	उ17°49'58.976"	पू75°59'58.647"
18	उ17°49'06.945"	पू76°01'18.724"	37	उ17°50'08.629"	पू76°00'02.763"
19	उ17°49'07.619"	पू76°01'08.818"	38	उ17°50'05.274"	पू76°00'07.680"

India Code

उपाबंध-II

गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

दिशा	सीमा से घिरा
उत्तर	गट की दक्षिणी सीमा सं.218,236,234,232,231,227,277,278,279,280,281,282,283, 338,340,341 गांव पिमपाला बीके ।
पूर्व	गट की पश्चिमी सीमा सं. 43,35 गांव धोतरी और गट की पश्चिमी सीमा सं. 473,471,478, 481,482,484,485,492 गांव देवकुरली ।
दक्षिण	गट की उत्तरी सीमा सं. 57, 58, 62,49,48,47,46,45ए, 253बी, 253ए, 253सी गांव गंगेवाडी ।
पश्चिम	गट की पूर्वी सीमा सं. 35,32,257, 256,255,254 गांव गंगेवाडी । गट की दक्षिणी सीमा सं. 30 गांव गंगेवाडी ।

IndiaCode

उपाबंध-III

गैंगेवाडी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य में पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के निर्देशांकों के साथ सूची

क्रम. सं.	बिंदु सं.	पारिस्थितिक संवेदी जोन के ग्रामों के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	ए	गैंगेवाडी, जिला सोलापुर	उ17°50'21.82"	पू75°59'05.80"
2	बी	धोतरी, जिला ओसमानाबाद	उ17°48'23.62"	पू76°01'08.93"
3	सी	देवकुरली, जिला-ओसमानाबाद	उ17°51'26.50"	पू76°01'59.22"
4	डी	पिंपला बी के., जिला-ओसमानाबाद	उ17°51'13.94"	पू76°00'24.83"

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश A ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2017

S.O.1752(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O.3014(E), dated the 5th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette were made available to the public on the 5th November, 2015;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from any person in response to the draft notification;

AND WHEREAS the Gangewadi New Great Indian Bustard Wild Life Sanctuary is situated in Solapur and Osmanabad Districts of Maharashtra and is spread over an area of 1.98 square kilometer The Sanctuary is known for its wild life specially the Great Indian Bustard and Black buck apart from some other mammalian species like fox, jackal and wolf.

AND WHEREAS, certain reptiles, amphibians, butterflies, spiders and invertebrates inhabit this wild life sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Gangewadi New Great India Bustard Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent from 40 metres to 675 metres around the boundary of Gangewadi New Great India Bustard Wildlife Sanctuary in Maharashtra as the Gangewadi New Great India Bustard Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone**.— (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 7.14 square kilometer with an extent from 40 metres to 675 metres around the boundary of Gangewadi New Great India Bustard Wildlife Sanctuary.

(2) The map of the Sanctuary along with the Eco-sensitive Zone showing salient features along the boundary is appended as **Annexure-I**. The list of Geo Co-ordinates of the sanctuary and the Eco Sensitive Zone is annexed as **Annexure-I (A)**.

(3) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is given in **Annexure-II**.

(4) The list of four villages namely Gangewadi falling in Solapur district and Dhotri, Devkurli and Pimpla Bk., in Osmanabad district within the Eco-sensitive Zone along with geo co-ordinates is appended as **Annexure-III**.

IndiaCode

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.— 1. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Government.

2. The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

3. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any. The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

4. The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Maharashtra State Pollution Control Board; and
(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The said Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The said Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vide the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.— The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:—

(1) **Land use**.— Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities. Such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps;

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(iii) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;
(iv) Rain water harvesting, and
(v) Small scale industries not causing pollution;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies**.—The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism**.—(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone (beyond 1 kilometre) shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage**.— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man- made Heritage Sites.—** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise Pollution.—** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air Pollution.—** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of Effluents.—** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid Wastes.—** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

(a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(c) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio Medical Wastes.—** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.—** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

IndiaCode

(12) **Construction and Demolition Waste Management.—**The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Electronic Waste.—** The Electronic Waste (E-Waste) Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular Traffic.—** The vehicular traffic movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.—** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.—** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

indiacode

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-

		polluting cottage industries shall be promoted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
11.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
13.	Commercial Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
15.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) Promoted activities listed in this Notification.
16.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
17.	Vehicular emissions.	Regulated under applicable laws.
18.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State

Indian Code

		Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
20.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
21.	Insulation of electric lines, erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
22.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
23.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
24.	Sign Boards and Hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Movement of Vehicular Traffic at night.	Regulated for commercial vehicles as per the Zonal Master Plan and the applicable laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
27.	Commercial use of water resources including ground water.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
28.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio gas, solar light, CNG, LPG etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee, to monitor the compliance with the provisions of this notification, which shall comprise of the following namely:—

(1)	District Collector, Osmanabad.	Chairman;
(2)	Representative of District Collector, Solapur.	Member;
(3)	A representative of Zilla Parishad, Osmanabad.	Member;
(4)	A representative of Zilla Parishad, Solapur.	Member;
(5)	One representative of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment and heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of one year.	Member;
(6)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a period of one year.	Member;
(7)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Osmanabad.	Member;
(8)	Town Planning Officer, Osmanabad.	Member;
(9)	Town Planning Officer, Solapur.	Member;
(10)	Member of State Biodiversity Board.	Member;
(11)	Representative of Conservator of Forest, Solapur Forest Division.	Member; and
12.	Divisional Forest Officer, Osamabad.	Member-Secretary .

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

IndiaCode

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

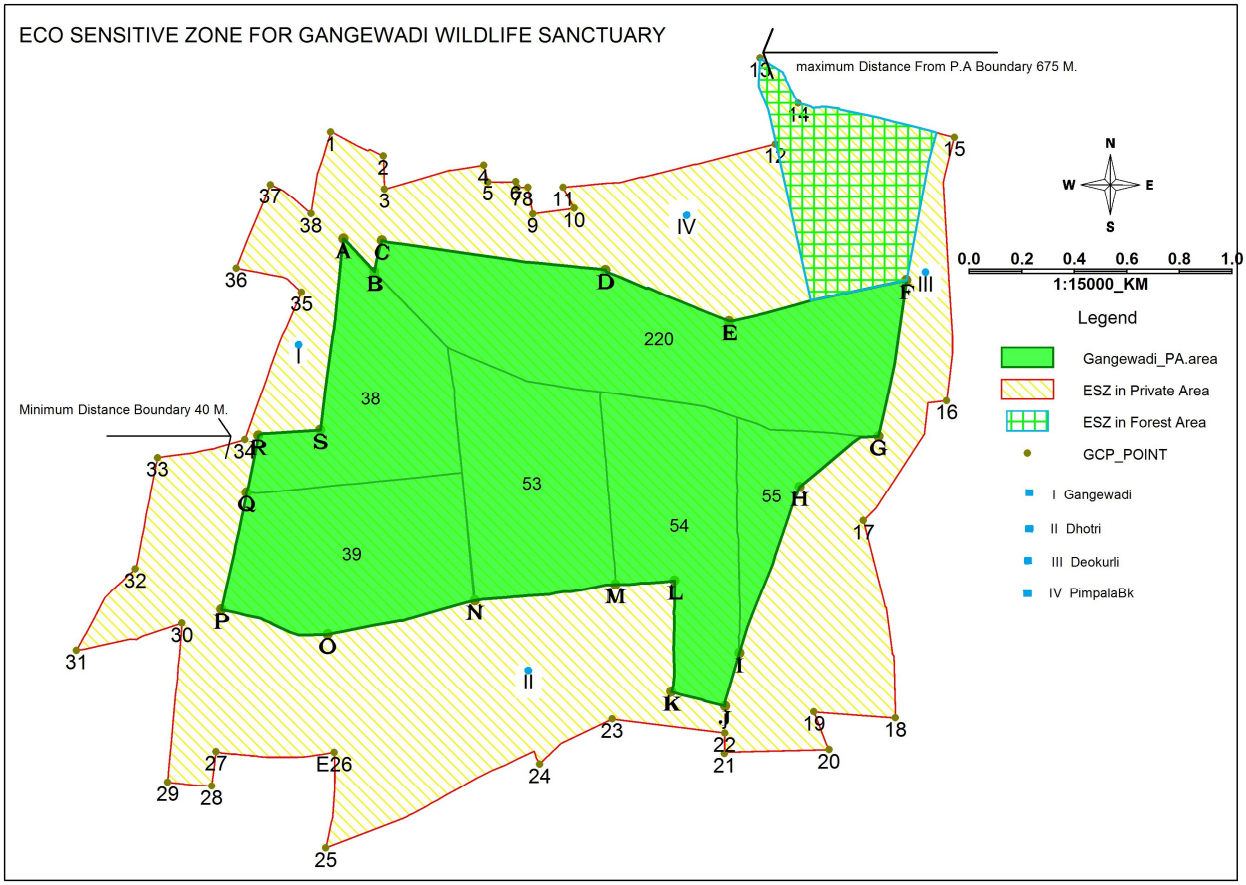
[F.No.25/129/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure-I

Map of Gangewadi GIB WLS along with its Eco Sensitive Zone



Annexure I (A)

Geo Coordinates of the Protected Area

Sl. No.	Point No.	Latitude	Longitude
1	A	N17°50'o2.386"	E76°00'11.629"
2	B	N17°49'58.619"	E76°00'15.420"
3	C	N17°50'02.203"	E76°00'16.313"
4	D	N17°49'58.891"	E76°00'43.430"
5	E	N17°49'52.969"	E76°00'58.423"
6	F	N17°49'57.813"	E76°01'19.919"
7	G	N17°49'36.630"	E76°01'16.566"
8	H	N17°49'33.704"	E76°01'07.014"
9	I	N17°49'14.423"	E76°00'59.774"
10	J	N17°49'08.288"	E76°00'58.046"
11	K	N17°49'09.938"	E76°00'51.546"
12	L	N17°49'22.765"	E76°00'51.917"
13	M	N17°49'22.310"	E76°00'44.733"
14	N	N17°49'20.383"	E76°00'27.705"
15	O	N17°49'16.450"	E76°00'09.682"
16	P	N17°49'20.273"	E75°59'56.969"
17	Q	N17°49'32.908"	E75°59'59.963"
18	R	N17°49'39.501"	E76°00'01.379"
19	S	N17°49'40.178"	E76°00'08.910"

Geo Coordinates of the Eco-Sensitive Zone

Point No.	Latitude	Longitude	Point No.	Latitude	Longitude
1	N17°50'14.735"	E76°00'10.066"	20	N17°49'03.261"	E76°01'10.677"
2	N17°50'12.020"	E76°00'16.439"	21	N17°49'02.767"	E76°00'57.996"
3	N17°50'08.152"	E76°00'16.587"	22	N17°49'05.141"	E76°00'58.029"
4	N17°50'01.966"	E76°00'28.603"	23	N17°49'06.747"	E76°00'44.378"
5	N17°50'09.022"	E76°00'29.144"	24	N17°49'01.457"	E76°00'35.612"
6	N17°50'09.049"	E76°00'32.502"	25	N17°48'51.687"	E76°00'09.685"
7	N17°50'08.425"	E76°00'32.675"	26	N17°49'02.760"	E76°00'10.688"
8	N17°50'08.397"	E76°00'33.970"	27	N17°49'02.822"	E75°59'56.370"
9	N17°50'05.314"	E76°00'34.592"	28	N17°48'58.791"	E75°59'55.832"
10	N17°50'05.972"	E76°00'39.600"	29	N17°48'59.233"	E75°59'50.517"
11	N17°50'08.415"	E76°00'38.250"	30	N17°49'17.682"	E75°59'52.171"
12	N17°50'13.501"	E76°01'03.954"	31	N17°49'14.521"	E75°59'39.416"
13	N17°50'23.518"	E76°01'02.070"	32	N17°49'23.955"	E75°59'46.498"
14	N17°50'18.266"	E76°01'06.731"	33	N17°49'36.919"	E75°59'49.169"
15	N17°50'14.343"	E76°01'25.665"	34	N17°49'39.046"	E75°59'59.744"
16	N17°49'43.791"	E76°01'24.823"	35	N17°49'56.209"	E76°00'06.565"
17	N17°49'29.801"	E76°01'14.771"	36	N17°49'58.976"	E75°59'58.647"
18	N17°49'06.945"	E76°01'18.724"	37	N17°50'08.629"	E76°00'02.763"
19	N17°49'07.619"	E76°01'08.818"	38	N17°50'05.274"	E76°00'07.680"

IndiaCode

Annexure-II

Boundary Description of the Eco Sensitive Zone of Gangewadi New Great Indian Bustard Wildlife Sanctuary

Direction	Bounded by
North	Southern boundary of Gut No.218, 236, 234, 232, 231, 227, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 338, 340, 341 of Pimpala Bk. Village.
East	Western boundary of Gut No.43, 35 of Dhotri Village & Western Boundary of Gat No. 473, 471, 478, 481, 482, 484, 485, 492 of Devkurli Village.
South	Northern Boundary of Gut No.57, 58, 62, 49, 48, 47, 46, 45A, 253B, 253A, 253C of Gangewadi Village.
West	Eastern boundary of Gut No. 35, 32, 257, 256, 255, 254 of Gangewadi Village. Southern boundary of Gat No. 30 of Gangewadi Village.

Annexure-III

List of Villages falling in Eco-sensitive Zone in Gangewadi New Great India Bustard Wildlife Sanctuary with co-ordinates

IndiaCode

Sl. No.	Point No.	Name of ESZ Villages	Latitude	Longitude
1	A	Gangewadi, Dist. Solapur	N17°50’21.82”	E75°59’05.80”
2	B	Dhotri ,Dist-Osmanabad	N17°48’23.62”	E76°01’08.93”
3	C	Devkurli , Dist-Osmanabad	N17°51’26.50”	E76°01’59.22”
4	D	Pimpla Bk., Dist-Osmanabad	N17°51’13.94”	E76°00’24.83”

Annexure -IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan .
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.05 13:40:02 +05'30'